प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

(योजना के अन्तर्गत आच्छादित ऋणी/अऋणी कृषकों का विवरण)

बैंक का नाम/पता/सम्पर्क नम्बर/Email id :

राज्यः उत्तराखण्ड जिलाः अधिसूचित क्षेत्रः

(मैदानी भागों के लिए न्यायपंचायत तथा पर्वतीय भागों के लिए तहसील)

मौसम : खरीफ/रबी वर्ष : बीमित फसलः प्रीमियम दर प्रतिशत में :

क्र0सं0	किसान का नाम	पिता का नाम	ग्राम	न्यायपंचायत	तहसील	कृषक की श्रेणी			बीमित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बीमित राशि (रू.) (Area of notified crop under Loan Application X Scale of finance of notified crop)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रू.)	खाता संख्या	मोबाइल न0
						Male/ Female	SC/ST/ Others/ General	Small- Marginals /Others					
अधिसूचित क्षेत्र के अनुसार उपयोग													
कुलयोग													

1.अधिसूचित क्षेत्र स्तर (शासनादेश के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र, प्रदेश के मैदानी भागों के लिए न्यायपंचायत तथा पर्वतीय भागों के लिए तहसील है।) पर सूचना उपयोग के साथ प्राप्त होना आवाश्यक है।

2.बैंक द्वारा फार्मेट में अकिंत सभी सूचनायें सही एवं स्पष्ट होना आवाश्यक है तथा अधिसूचित क्षेत्रवार/फसलवार/ऋणी एवं अऋणी कृषकवार पूर्णरुप से भरे हुए घोषणापत्र के संबन्धित कालमों से मेल होना चाहिए।

दिनांक :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर मोहर सहित)